न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—293/2017/223 (2017/00293)

1. गोपाल पुत्र गोकुल,
2. नारायण पुत्र गोकल,
3. पुखराज पुत्र गोकल,
   समस्त जाति जाट, निवासी शिखरानी तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती नन्दू पत्नि रामस्वरूप, जाति जाट, निवासी रामालिया, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती झमरी पत्नि सुखदेव, जाति जाट, निवासी गांव गूदलिया, पोस्ट केबानिया, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रतन पुत्र मादू गोद व वसीयत पुत्र मृतक देवी जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम पो0 शिखरानी वाया, तहसील हाल बिजयनगर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि भागचंद नाबेड़ा, जाति ओसवाल (जैन) निवासी मील चौक, बिजयनगर, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती मीनू देवी पत्नि राजेश कुमार जैन, जाति जैन, निवासी मिल्स चौक, बिजयनगर, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर, जिला अजमेर ।
5. उप पंजीयक, बिजयनगर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 15.11.2017 अंतर्गत वाद संख्या 11/2008 .

उपस्थितः—

1. श्री लेखू मंघानी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

निर्णय

दिनांकः— 6.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा शिखरानी के साबिक खसरा संख्या 2809 हाल खसरा संख्या 2736 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा शुरू से नाडी तथा साबिक खसरा नंबर 2810 हाल खसरा नंबर 2736/4500 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी शुरू से नाडी की

पाल थी जिन पर अपीलांटस/वादीगण के पूर्वज गोकुल पुत्र मांगू व रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 के भाई गंगाराम के संयुक्त खाते मं दर्ज थी। उक्त भूमि के आस–पास की भूमियां खसरा संख्या 2940, 2941, 2735, 2734, 2733, 2740, 2741 की संपूर्ण भूमियां अपीलांटस की खातेदारी भूमियां है। जमाबंदी ग्राम शिखरानी संवत् 2020 से 2023 तथा जमाबंदी संवत् 2025 से 2027 में साबिक खसरा नंबर 2810 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांसी तथा खसरा नंबर 2809 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा अपीलांटस के पिता गोकुल पुत्र मांगू के नाम उप–कृषक खातेदार दर्ज है परन्तु जमाबंदी संवत् 2025 से 2027 में खसरा नंबर 2809 की भूमि का इंद्राज जमाबंदी में अपीलांटस को उपकृषक के रूप में दर्शाया गया है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 2029 ग्राम शिखरानी में भी उक्त वर्णित खसरा नंबरान की भूमि के खातेदार व काश्तकार अपीलांट के पिता गोकूल वल्द मांगू व रेस्पो0 संख्या 1 के बड़े भाई गंगाराम की संयुक्त काश्त दर्ज है किन्तु इस्तमरारदारी जो सेटलमेंट की जमाबंदी संवत् 1359 फसली खतौनी बनी, तब उक्त पाल पुरानी शुरू से साबिक खसरा नंबर 2810 को अपीलांटस के पिता गोकुल पुत्र मांगू व रेस्पो0 संख्या 1 के बड़े भाई गंगाराम पुत्र ऊंकार जाट के संयुक्त खाते में दर्ज कर दी गई परन्तु पुरानी नाड़ी खसरा संख्या 2809 की भूमि को गलती से अकेले रेस्पो0 संख्या 1 के भाई गंगाराम के नाम दर्ज कर दी गई जिसकी जानकारी अपीलांटस के पिता स्व0 गोकुल को नहीं हो सकी । चूंकि प्रश्नगत दोनों खसरा नंबरों की भूमि पर अपीलांटस वादीगण का शुरू से ही सह–काबिज कब्जा चला आ रहा था तथा वे इस भूमि पर काश्त भी कर रहे थे परन्तु वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में वादीगण के पिता गोकुल की वल्दियत गलत अंकित कर दी । सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई उक्त गलती की जानकारी नहीं हो सकी । रेस्पो0 संख्या 1 के भाई गंगाराम ने भी अपीलांटस के पिता का कब्जे काश्त में कभी कोई दखंलदाजी नहीं की । इसलिये शांतिपूर्वक अपीलांट उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे थे। रेस्पो0 संख्या 1 के पिता की मृत्यु होने के बाद रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त भूमि पर अपना दखल करना चाहा और रेस्पो0 संख्या 1 आधे हिस्से से अधिक भूमि को बदनियति से बेचने पर आमादा होने से व अपीलांटस को परेशान करने लगे तब अपीलांटस को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ । अतः वाद स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2017 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारि तकरने से पूर्व व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 1 से 10 में दी गई विधिक प्रकिया की पालना किये बिना ही अपना निर्णय दिया है । अपीलांट ने विधि के प्रावधानों कें तहत अपने समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 से 38 पेश किये तथा उन्हें विधिवत् रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न कर उनको रिकार्ड पर लेने के आदेश करवाये । जमाबंदी ग्राम शिखरानी संवत् 2020 से 2023 में दोनों खसरा नंबरों की भूमि अपीलांटस के पिता गोकुल पुत्र मांगु के नाम उप–कृषक खातेदारी में दर्ज है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में उक्त जमाबदी को खसरा गिरदावरी मानते हुए निर्णय मे इसका उल्लेख किया है परन्तु यह दस्तावेज रिकार्ड पर होने के बावजूद भी उक्त का लाभ अपीलांटस को नहीं दिये जाने का कोई काई भी कारण अंकित नहीं

किया है । अधी0न्याया0 ने वाद में 5 तनकियात कायम किन्तु निर्णय में किसी भी तनकी पर अपना कोई निष्कर्ष नहीं दिया है । विधि के प्रावधानों के तहत प्रत्येक तनकी पर अधी0न्याया0 को अपना निष्कर्ष देना था । अपीलांटस ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपने पूर्वज गोकुल पुत्र मांगू तथा मांगू पुत्र बक्शा जाट के नाम की पुरानी जमाबंदी व खसरा गिरदावरियों में कृषक व उप–कृषक होने की प्रविष्टियों संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये थे । इन दस्तावेजों के आधार पर अधी0न्याया0 ने राज0काश्त0अधि0 की धारा 212 के प्रकरण संख्या 9/2008 गोपाल बनाम देवी में दिनांक 29.7.2010 को स्वीकार कर दावे के निर्णय तक भूमि के हस्तातंरण पर रोक लगाई थी । उक्त दस्तावेजो से विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा व हक सिद्ध था । रेस्पो0/प्रतिवादीगण यह भी स्वीकार करते है कि विवादित भूमि के बारे में जो पुराना रिकार्ड है, उसमें सेटलमेंट विभाग ने कई त्रुटियां की है इसलिये रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमि के बारे में एक वाद पत्र संख्या 95/2007 देवी बनाम रतन व अन्य अंतर्गत धारा 136 राज0भूराजस्व अधि0 1956 इंद्राज दुरूस्ती का उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 1.5.2008 को अदम पैरवी व गैर हाजरी में खारिज हो चुका है । इसी प्रकार रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 ने एक अन्य वाद संख्या 69/2008 देवी बनाम बालू व अन्य का धारा 88 राज0काश्त0अधि0 में पेश किया जादिनांक 11.11.2011 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है । उसके पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 देवी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 1.4.2012 को पेश किया जो दिनांक 4.7.2014 को खारिज हो चुका है जो दोनों वाद विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 2736 से संबंधित है । विवादित भूमि के बारे में अपीलांटस ने जमाबंदी ग्राम शिखरानी संवत् 2020 से 2023 व जमाबंदी संवत् 2025 से 2027 प्रदर्श–8 अधी0न्याया0 में प्रस्तुत की थी । इन दस्तावेजों में अपीलांटस/वादीगण के पिता गोकुल वल्द मांगू को उप–कृषक के रूप में दर्ज किया गया है । जमाबंदी रिकार्ड आफ राईटस है । इससे पूर्व के दस्तावेज खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय संवत् 2017 से 2020 व 2025 से 2030 में भी वादीगण के पिता गोकुल वल्द मांगू तथा दादा मांगू वल्द बक्शा का नाम दर्ज है । यद्यपि न दस्तावेजों में अपीलांटस के दादा मांगू की वल्दियत गलत लिखी गई है जिसके लिए भी अपीलांटस ने कार्यवाही की है । इन दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि अपीलांटस/वादीगण के पिता गोकुल वल्द मांगू व दादा मांगू वल्द बक्शा का वर्षो से विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है तथा कब्जे के आधार पर उनके द्वारा की गई काश्त भी इन रिकार्ड में दर्ज है । क्योंकि पुरानी जमाबंदी व खसरा गिरदावरी में कुछ स्थानों पर विवादित भूमि के बारे में अपीलांटस के पिता व दादा को उप–कृषक दर्ज कर दिया था इसलिये विकल्प के रूप में विवादित भूमि के आधे हिस्से पर अपीलांटस व आधे हिस्से पर रेस्पे0/प्रतिवादी संख्या 1 को संयुक्त खातेदार घोषित करने का वादपत्र में अनुतोष चाहा गया था परन्तु अधी0न्याया0 ने इन पुराने दस्तावेजों में अंकित इंद्राजों एवं मौके पर अपीलांटस के कब्जे काश्त को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादीगण व उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 लागू होने से पूर्व से विवादित आराजियात पर काबिज थे । इस कारण राज0काश्त0अधि0 लागू हुआ तब उक्त अधिनियम की धारा 13 के परन्तुक के अनुसार राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 1959 के अंतर्गत भू–सम्पति का उन्मूलन हो जाने पर उक्त खुदकाश्त भूमि का खातेदार हो जाने की व्यवस्था की गई है । उक्त प्रावधानों के तहत तो अपीलांटस विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भूमि के मालिक हो गये है । अधी0न्याया0 ने प्रश्नगत निर्णय पारित करने से पूर्व राज0काश्त0अधि0 की धारा 15 (1) का अवलोकन नहीं किया है । इन प्रावधानों के तहत खातेदार आसामी को परिभाषित किया गया है । इन प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि राज0काश्त0अधि0 लागू होने से पूर्व यदि कोई व्यक्ति शिकमी, आसामी या खुद काश्त आसामी के अलावा अन्य आसामी भी है तो, भी वह खातेदार आसामी होगा । अपीलांटस वादीगण ने जो दस्तावेज पेश किये है उसमें अपीलांटस के पूर्वज विवादित भूमि के खातेदार तथा खुद काश्तकार है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 में खुद काश्त के आसामीयों तथा शिकमी आसामीयों को अधिकार प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों के अनुसार उप–आसामी के रूप में दर्ज व्यक्ति भी खातेदारी आसामी धारा 19 (1–क) के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है । अधी0न्याया0 ने इन सभी प्रावधानों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी प्रारंभ से ही रेस्पो0 के पूर्वजों के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है । वादीगण व प्रतिवादीगण का कोई रिश्ता नहीं है । वादीगण ने जो सजरा मांगू के समय से बताया है वो मांगे तथा इसी कलम मे वर्णित किये जा रहे प्रतिवादीगण के पूर्वज मांगू का नाम एक समान होने से वादीगण जानबूझकर बदनियतिपूर्वक उक्त आराजी को हड़पने की नियत से वाद पेश किया है । वादीगण के पूर्वज मांगू के पिता का नाम बक्शा होकर इनकी जाति जाट है तथा इनकी गौत्र डाबला है तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज मांगू के पिता का नाम भूरा होकर इनकी जाति जाट है तथा गौ कोरवाल है । महज प्रतिवादीगण के सजरे में पूर्वज मांगू होने से उनके फुटस्टेप पर यानि उनकी जगह वादीगण का पूर्वज मांगू बनाकर बदनियति से वाद पेश किया है । प्रतिवादीगण के सजरे के अनुसार गंगाराम देबी व मांगू चचेजात भाई होकर काफी वर्षो से शामिल रहते आ रहे थे इसलिये उक्त आराजी आपसी सहमति से प्रत्येक के 1/3, 1/3 हिस्से से दर्ज हुई है जो लगातार इसी अनुसार दर्ज चली आ रही है । मांगू के पिता का नाम ऊंकार दर्ज कर दिया गया तथा इसी हक हिस्से लगातार काबिज काश्त व उपभोग चला आ रहा है । मांगू के वारिसान अनपढ़ होकर ग्रामीण होने से उक्त आराजी की विरासत का खाता अपने नाम दर्ज नही करवा पाये है । गंगाराम के फौत हो पर उसका 1/3 हिस्सा देबी में व मांगू के वारिसान में मर्ज हो जाने से प्रत्येक का उक्त आराजी में 1/2, 1/2 हिस्सा है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज एक रहे हो वादीगण दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहे है। विवादित आराजियात से अपीलांटस/वादीगण का कोई संबंध नहीं है ना ही कभी कब्जा काश्त रहा है । विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 ने बहैसियत खातेदार एवं काबिजदार आराजी नंबर 2736 में से अपने 1/3 हिस्से की आराजी को व आराजी नंबर 2736/4500 में से अपने 1/2 हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर आधिपत्य संभला दिया है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज हुई है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2021 पार्ट–1 पेज 182 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा शिखरानी के साबिक खसरा संख्या 2809 हाल खसरा संख्या 2736 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा शुरू से नाडी तथा साबिक खसरा नंबर 2810 हाल खसरा नंबर 2736/4500 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी शुरू से नाडी की पाल थी जिन पर अपीलांटस/वादीगण के पूर्वज गोकुल पुत्र मांगू व रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 के भाई गंगाराम के संयुक्त खाते में दर्ज थी। उक्त भूमि के आस–पास की भूमियां खसरा संख्या 2940, 2941, 2735, 2733, 2740, 2741 की संपूर्ण भूमियां अपीलांटस की खातेदारी भूमियां है। जमाबंदी ग्राम शिखरानी संवत् 2020 से 2023 तथा जमाबंदी संवत् 2025 से 2027 में साबिक खसरा नंबर 2810 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांसी तथा खसरा नंबर 2809 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा अपीलांटस के पिता गोकुल पुत्र मांगू के नाम उप–कृषक खातेदार दर्ज है परन्तु जमाबंदी संवत् 2025 से 2027 में खसरा नंबर 2809 की भूमि का इंद्राज जमाबंदी में अपीलांटस को उपकृषक के रूप में दर्शाया गया है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 2029 ग्राम शिखरानी में भी उक्त वर्णित खसरा नंबरान की भूमि के खातेदार व काश्तकार अपीलांट के पिता गोकूल वल्द मांगू व रेस्पो0 संख्या 1 के बड़े भाई गंगाराम की संयुक्त काश्त दर्ज है किन्तु इस्तमरारदारी जो सेटलमेंट की जमाबंदी संवत् 1359 फसली खतौनी बनी, तब उक्त पाल पुरानी शुरू से साबिक खसरा नबर 2810 को अपीलांटस के पिता गोकुल पुत्र मांगू व रेस्पो0 संख्या 1 के बड़े भाई गंगाराम पुत्र ऊंकार जाट के संयुक्त खाते में दर्ज कर दी गई परन्तु पुरानी नाड़ी खसरा संख्या 2809 की भूमि को गलती से अकेले रेस्पो0 संख्या 1 के भाई गंगाराम के नाम दर्ज कर दी गई जिसकी जानकारी अपीलांटस के पिता स्व0 गोकुल को नहीं हो सकी । चूंकि प्रश्नगत दोनों खसरा नंबरों की भूमि पर अपीलांटस वादीगण शुरू से ही सह–काबिज कब्जा चला आ रहा था तथा वे इस भूमि पर काश्त भी कर रहे थे परन्तु वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में वादीगण के पिता गोकुल की वल्दियत गलत अंकित कर दी । सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई उक्त गलती की जानकारी नहीं हो सकी । अतः वाद स्वीकार कर खसरा नंबर 2736 का वादीगण को अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । दीगर सूरत में वादीगण को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरा नबर 2736/4500 का वादगण को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विधिक बंटवारा किया जावे । प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादकथनों से अस्वीकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने कथनों के समर्थन में दस्तवोजी साक्ष्य पेश किये है । अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में चार तनकियात कायम की है । खतौनी जमाबंदी 1358 फसली प्रदर्श–7 के अनुसार खसरा नंबर 2810 में गोकल पुत्र मांगू व गंगाराम पुत्र ऊंकार कौम जाट व खसरा नंबर 2809 व अन्य खसरा नंबर गंगाराम पुत्र ऊंकार जाति जाट के नाम दर्ज है । पक्षकारान के मध्य साबिक खसरा नंबर 2809 रकबा 21–12–00 को लेकर विवाद है । साबिक खसरा नंबर 2809 रकबा 21–12–00 बीघा की खातेदारी कभी भी वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज रही हो इस संबंध में वादीगण ने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । जमाबंदी संवत्

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2020 से 2023 में खसरा संख्या 2809 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि गोकल वल्द मांगू उपकृषक मुद्दत 3 साल दर्ज है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 20205 से 2027 में विवादित आराजी खसरा नंबर 2809 के खातेदार के कॉलम मं गगाराम वल्द ऊंकार कौम जाट साकिन देह खातेदार दर्ज होकर खसरा नंबर 2809 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा का गोकल पुत्र मांगू कौम ज़ाट सा0देह उपकृषक के रूप में मु0 7 साल दर्ज है । इसके विपरीत राजस्व रिकार्ड प्रदर्श– 7 फसली जमाबंदी 1359 के अनुसार खसरा नबर 2809 व अन्य खसरा नंबरान गंगाराम पुत्र ऊंकार जाति जाट के नाम दर्ज है । विवादित आराजियात प्रारंभ से प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी सिद्ध है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजियात में स्वंय के निहित हिस्से की आराजियात प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम नामांतकरण तस्दीक हो चुका है। वाद कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने का भार वादीगण पर था जिसमें वादीगण/अपीलांटस पूर्णतया असफल रहे है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 लगायत 3 पूरक होने से तीनों तनकियात का निर्णय एक साथ कर वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 6.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर